| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/337/2005/अलवर**<br>**भूराराम बनाम श्यामलाल** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **एकल-पीठ**<br>**श्री गौरव बजाड़, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः-**<br>(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br>**दिनांक : 29.07.2025**<br><br>यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में पारित आदेश दिनांक 19-11-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br>2- अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण सारहीन होने से निरस्त किये जाने पर अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।<br>3- पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद के निस्तारण की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया है कि प्रकरण में संबंधित मूल वाद का निस्तारण दिनांक 26-09-2006 को हो चुका है। अतः इस कारण प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।<br>4- अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को इसी स्तर पर (Infructuous) सारहीन होने से **खारिज** किया जाता है।<br>5- पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(गौरव बजाड़)**<br>**सदस्य** | |